उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-44/2017/1748/2017/37-1-2017-3(11)/2016
लखनऊ:दिनॉंक: 30 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-562/स्था0-3/34डी (4288), दिनॉंक 30-09-2016 द्वारा डा0 दुर्गा प्रसाद यादव, पशु चिकित्साधिकारी, देवकली, जनपद गाजीपुर के दिनॉंक 14.11.2014 से 24.08.2016 तक पुलिस अभिरक्षा/सागर, मध्य प्रदेश की जेल में निरूद्ध रहने विषयक सूचना दी गयी है। उक्त कृत्य (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 में उल्लिखित व्यवस्था के विपरीत है।

2- अतएव डा0 दुर्गा प्रसाद, पशु चिकित्साधिकारी, देवकली, जनपद गाजीपुर को दिनॉंक 14.11.2014 से 24.08.2016 तक पुलिस अभिरक्षा/सागर, मध्य प्रदेश की जेल में निरूद्ध रहने की अवधि में उन्हें एतदद्वारा साद्दश निलम्बित कर उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से योगदान कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- डा0 दुर्गा प्रसाद, पशु चिकित्साधिकारी, देवकली, गाजीपुर के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ डा0 चरण सिंह यादव, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को एतदद्वारा जॉंच अधिकारी की नियुक्त किया जाता है।

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-44/2017/1748/2017(1)/37-1-2017, तददिनॉंक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।